

सम्पादकीय

यूजीसी 2026 का विरोध

यूजीसी के नए नियमन से उबाल क्यों हैं विरोध का बड़ा कारण यह है कि समता समिति में एससी, एसटी, विकलांग, महिला और ओबीसी सदस्य होने के कारण उनके छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, बल्कि उस समुदाय का शिकायतकर्ता होने के कारण अगड़ी जाति (भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ) के छात्र हमेशा निशाने पर रहेंगे। यूजीसी के नए नियमन से उबाल क्यों हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने शायद सोचा भी न होगा कि 13 जनवरी 26 को जारी उसके नये नियमन (रेगुलेशन) से देशभर में उबाल हो जाएगा। उसने तो नया नियमन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लागू किया था, लेकिन समाज का एक धड़ा उद्वेलित हो उठा है। सरकार बहादुर चुप हैं और शिक्षा मंत्री मूकदर्शक। यहां तक की विपक्ष की भी बोलती बंद है, लेकिन विरोध बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है तो मुख्य कवि युमरा विश्वास ने दिवंगत कवि रमेश रंजन मिश्र की कविता का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा; मैं अभागा सर्वग हूँ, मेरा रोयां-रोयां उखाड़ लो राजा।' दरअसल, वर्ष 2019 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला और महाराष्ट्र को एक महिला चिकित्सक डॉ पायल तडवी ने जातीय उत्पीड़न से तंग होकर आत्महत्या कर ली थी। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ऐसा नियमन बनाने का निर्देश दिया था, जिससे कॉलेज में पढ़ाई का दौरान छात्रों का उत्पीड़न रोका जा सके। इसी दौरान आईआईटी ने एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि 'वंचित जातियों के 75 प्रतिशत छात्र कॉलेज में भेदभाव का शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालयों में जातीय आधार पर छात्रों के उत्पीड़न रोकने के लिए पहले से नियम नहीं थे। साल 2012 में हिमाचल प्रदेश में रैगिंग के दौरान एक छात्र की हत्या के बाद 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी ने मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैगिंग और उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तय किये थे।

'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशंस' नाम के नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए थे। उसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन शिकायत झूठी पायी जाने पर जुमाना और दंड का प्रावधान अवश्य था। अधिकांश मामलों में रैगिंग करने या उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर संस्थान द्वारा चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था। दोबारा शिकायत मिलने पर उत्पीड़न करने वाले छात्रों के अभिभावक को कॉलेज प्रशासन पर भ्रम दिया करता था और मामला सुलझ जाता था। कॉलेज प्रशासन की मनाही के बावजूद शिक्षण संस्थानों में रैगिंग चोरी-छुपे होती रहती थी। आज भी जारी है। पहले लेख के बीच इकनी कटुता भी नहीं होती थी। इसका मकसद छात्रों के बीच हास-परिहास करना होता था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और यूजीसी के नियमन - पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कॉलेजों में जातीय भेदभाव की शिकायतों का डाटा इकट्ठा करने तथा नया नियमन बनाने का निर्देश दिया था। उसके बाद यूजीसी ने फोडबैक लेने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया, जिस पर ओबीसी के छात्रों ने आपत्ति जताई और एससी-एसटी छात्रों के साथ ओबीसी के छात्रों को भी जांच समिति में शामिल करने की मांग की। इससे पहले दिसंबर 25 में संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी और सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में समता समिति में ओबीसी को शामिल करने की सिफारिश कर दी। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हैं। अपने ड्राफ्ट के विश्लेषण, ओबीसी छात्रों की मांग और संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर यूजीसी ने इस साल 13 जनवरी को नये नियमन की अधिसूचना जारी कर दी। दो दिन बाद 15 जनवरी से यूजीसी से मान्यताप्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नये लागू कर दिये गए हैं। नए नियमन में क्या है खास- 1. नये नियमन के तहत यूजीसी से मान्यताप्राप्त हर कॉलेज में इक्वल अपारच्युनिटी सेंटर यानी समता समिति (ईओसी) की स्थापना अनिवार्य कर दी गयी है। समिति में एससी, एसटी, विकलांग, महिला के अलावा ओबीसी के सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा। विशेष आमंत्रित सदस्यों में भी उन्हीं वर्गों के सदस्य होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। अध्यक्ष कॉलेज के प्राचार्य होंगे। 2. नये नियमन के तहत शिकायत मिलने के बाद समिति की रिपोर्ट पर कॉलेज के प्राचार्य अथवा यूनिवर्सिटी के उप वलपति एक्शन लेंगे। जिसके खिलाफ शिकायत होगी उसकी डिग्री रोक दी जाएगी, आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और आर्थिक दंड लगाया जाएगा। शिकायत झूठी होने पर भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले गलत शिकायत करने पर आर्थिक दंड लगाया जाता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। 3. हर कॉलेज में एक इक्विटी रजिस्ट्रार नाम की एक संस्था बनायी जाएगी जिसका काम कॉलेज में निगरानी करना और जाति के आधार पर भेदभाव को रोकना होगा। खास बात यह कि जाति आधारित भेदभाव में केवल एससी, एसटी और पिछड़ी जाति के लोग आएंगे। शिकायत आने पर समता समिति को 24 घंटे के भीतर बैठक बुलाकर 15 दिनों में कॉलेज प्राचार्य को कार्रवाई की सिफारिश करनी होगी। प्राचार्य 7 दिनों के भीतर उप वलपति को रिपोर्ट करेंगे। 5. समता समिति को हर साल यूजीसी को कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी। विरोध का कारण - विरोध का बड़ा कारण यह है कि समता समिति में एससी, एसटी, विकलांग, महिला और ओबीसी सदस्य होने के कारण उनके छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, बल्कि उस समुदाय का शिकायतकर्ता होने के कारण अगड़ी जाति (भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ) के छात्र हमेशा निशाने पर रहेंगे। उनका पक्ष भी नहीं सुना जा सकेगा।

विपुल अमृतलाल शाह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियाँड!' का खतरनाक मोशन पोस्टर रिलीज

(जीएनएस)। विपुल अमृतलाल शाह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियाँड!' का मोशन पोस्टर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। पोस्टर का हर फ्रेम भय, पीड़ा और सच्चाई की गहरी परछाइयों को समेटे हुए नजर आता है। यह विजुअल दर्शकों को झकझोरने वाला है और साफ संकेत देता है कि यह सीक्वल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और असरदार होने वाला है।

30 जनवरी को आगूआ टीजर मेकर्स ने घोषणा की है कि फिल्म का टीजर 30 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि फिल्म पूरी तरह सच्ची घटनाओं और निर्विवाद तथ्यों से प्रेरित है। मोशन पोस्टर के जरिए ही दर्शकों को यह एहसास करा दिया गया है कि कहानी इस बार और गहराई तक जाएगी।

पहली फिल्म से भी आगे जाने का दावा 'द केरल स्टोरी' के माध्यम से



कड़वी और असहज सच्चाइयों को सामने लाने वाले विपुल अमृतलाल शाह अब उससे भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियाँड!' का मोशन पोस्टर डरावना, आक्रांश से भरा और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला है, जो दर्शकों को बेचैन कर देता है। और भी भयावह सच्चाइयों की ओर इशारा इस बार फिल्म उन पहलुओं को उजागर करने का दावा कर रही है, जो थोके, इंसाइनित और नफरत की सीमाओं से भी आगे जाते हैं। पोस्टर

लैंडिंग के दौरान क्या हुआ, कैसे टूटा संपर्क? उड्डयन मंत्रालय ने 10 प्वाइंट में बताया

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है। इस हादसे ने विमानों की सुरक्षा और तकनीकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी बरामती पहुंच गए हैं। उन्होंने दिवंगत एनसीपी नेता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह एक बहुत बड़ी क्षति है। हमने जांच के आदेश दिए हैं और पूरी डिटेल्स आने के बाद रिपोर्ट जारी की जाएगी।

अजित पवार के विमान हादसे के बाद कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह हादसा बहुत संदिग्ध है और इसकी निष्पत्ति जांच होनी चाहिए। अजित पवार जल्द बीजेपी को छोड़ने वाले थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी जांच की मांग की है।

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि प्लेन क्रैश की डिटेल्स रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन शुरूआती इनपुट मिले हैं। पूरी रिपोर्ट आने के बाद डिटेल्स शेयर की जाएगी।

1. बरामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दो प्रयास: नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के अनुसार, सुबह 8:43 बजे अजित पवार के जेट को लैंडिंग की मंजूरी मिली, एक मिनट बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अजित पवार के विमान ने बरामती हवाई अड्डे पर उतरने के लिए कुल दो प्रयास किए। दोनों प्रयासों के दौरान मौसम और विजिबिलिटी अहम चुनौती बने।

2. पहले प्रयास में कम विजिबिलिटी बनी बामता: पहली बार लैंडिंग के दौरान पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचित किया कि रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई

नहीं दे रहा है। कम दृश्यता के कारण सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं थी।

पुष्टि: दूसरी कोशिश के दौरान पायलट ने अल्ट्रड को जानकारी दी कि रनवे



3. ATC ने दिया 'गो-अराउंड' का निर्देश: सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अल्ट्रड ने विमान को 'गो-अराउंड' करने का निर्देश दिया। लैंडिंग रद्द कर दोबारा चक्कर लगाकर उतरने की सलाह दी गई थी।

4. दूसरे प्रयास में रनवे दिखने की

अब दिखाई दे रहा है। इसके बाद लैंडिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

5. ATC से लैंडिंग की अनुमति: रनवे विजिबिलिटी की पुष्टि के बाद ATC ने विमान को लैंडिंग की औपचारिक अनुमति दे दी। यह प्रक्रिया पूरी तरह मानक प्रोटोकॉल के

तहत बताई जा रही है। अजित पवार की मौत पर भावुक सुप्रिया सुले ने लिखा ये शब्द, वं या इसी बहन के कारण चाचा शरद पवार से दूर हुए थे?

अजित पवार की मौत पर भावुक सुप्रिया सुले ने लिखा ये शब्द, वं या इसी बहन के कारण चाचा शरद पवार से दूर हुए थे? अजित पवार की मौत पर भावुक सुप्रिया सुले ने लिखा ये शब्द, वं या इसी बहन के कारण चाचा शरद पवार से दूर हुए थे?

6. अचानक टूटा संचार संपर्क: लैंडिंग की अनुमति के बाद ATC को पायलट की ओर से आवश्यक 'रीड-बैक' नहीं मिला। इसके तुरंत बाद विमान और ATC के बीच संचार पूरी तरह टूट गया।

7. रीड-बैक न मिलना जांच का अहम बिंदु: एविएशन नियमों के अनुसार, ATC निर्देश मिलने पर पायलट का रीड-बैक बेहद जरूरी होता है। इसका न मिलना जांच एजेंसियों के लिए एक गंभीर तकनीकी संकेत माना जा रहा है।

8. AAIB और DGCA की टीमों मीके पर: घटना की गंभीरता को देखते हुए एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इनवेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) और DGCA की टीमों तुरंत घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

9. ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी: विमान के 'ब्लैक बॉक्स'-Cockpit Voice Recorder (CVR) और Flight Data Recorder (FDR)-को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अंतिम पलों की तकनीकी और संवाद संबंधी जानकारी मिल सके।

10. शक प्रोटोकॉल की भी होगी जांच: नागरिक उड्डयन मंत्रालय यह भी जांच कर रहा है कि क्या खराब मौसम के बावजूद उड़ान और लैंडिंग की अनुमति दी गई। इसकी भी जांच हो रही है कि किसी तरह के वीआईपी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ या नहीं।

रितेश देशमुख और अजित पवार का क्या है रिश्ता? एक्टर ने डिप्टी सीएम की मौत पर कही ऐसी बात

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन पर देशभर में शोक का माहौल है। राजनीति के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री से भी लगातार संवेदनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए अजित पवार को श्रद्धांजलि दी है।

डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन

आपको बता दें कि रितेश देशमुख डिप्टी सीएम अजित पवार को प्यार से 'अजीत दादा' कहकर संबोधित करते थे। रितेश देशमुख ने भावुक होते हुए दिवंगत अजित पवार को महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली और ऊजावर्न नेताओं में से एक बताया।

रितेश देशमुख का भावुक पोस्ट

-रितेश देशमुख ने अपने

आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है- ये जानकर दिल टूट गया है कि हमने एक दुखद हादसे में अजित दादा को खो दिया। वह महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक थे। खराब परफॉर्मेंस उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी और वह अपने निर्माता रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए अजित पवार को श्रद्धांजलि दी है।

-रितेश देशमुख ने आगे लिखा- अपनी बात बेझिझक कहना, अजित दादा की हाजिरजवाबी और उनका हास्य, ये सब उन्हें खास बनाता था। पूरे राज्य में लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे। उनका अचानक जाना एक ऐसा नुकसान है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।

-रितेश देशमुख ने लिखा- मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और मैं हमेशा उनकी वह दयालुता याद रखूंगा, जो उन्होंने मुझ

पर दिखाई। पवार परिवार, उनके प्रियजनों और लाखों समर्थकों के प्रति



मेरी गहरी संवेदनाएं।

-रितेश देशमुख ने अपनी पोस्ट में अजित पवार की बेबाक शैली, बिना

लाग-लपेट के बोलने की आदत, तेज 'मर और जनता के साथ गहरे जुड़ाव को खास तौर पर याद किया। उन्होंने कहा कि अजित दादा का व्यक्तित्व

ऐसा था जो लोगों को प्रभावित करता था और प्रेरित भी करता था।



रितेश देशमुख और अजित पवार का क्या है रिश्ता?

-रितेश देशमुख के पिता विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान अजित पवार कई बार मंत्री रहे और दोनों नेताओं ने अलग-अलग

सरकारों में मिलकर काम किया था। खासतौर पर सहकारी क्षेत्र, सिंचाई परियोजनाएं और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर विलासराव देशमुख और अजित पवार का राजनीतिक सहयोग रहा था।

-इसी वजह से रितेश देशमुख का अजित पवार से व्यक्तिगत परिचय भी रहा है और दोनों की मुलाकातों राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के दौरान होती रही थीं।

देशमुख और पवार परिवारों का राजनीतिक जुड़ाव

-रितेश देशमुख के बड़े भाई अमित देशमुख (लातूर से विधायक) और छोटे भाई धीरज देशमुख भी राजनीति में सक्रिय हैं। इस कारण देशमुख और पवार परिवारों के बीच एक अप्रत्यक्ष लेकिन मजबूत राजनीतिक रिश्ता बना रहा है।

-अजित पवार के निधन पर रितेश देशमुख की प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि महाराष्ट्र की राजनीति और मनोरंजन जगत के बीच कितने अजित पवार का राजनीतिक सहयोग रहा था।

सोशल मीडिया पर उमड़ा शोक -रितेश देशमुख को इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स, बड़ी संख्या में री-पोस्ट और सैकड़ों भावुक कमेंट्स आए हैं। लोग अजित पवार को एक कठोर प्रशासक, ईमानदार नेता और जमीनी राजनेता के रूप में याद कर रहे हैं।

-रितेश देशमुख की श्रद्धांजलि ने अजित दादा की उस छवि को और मजबूत किया है, जिसके लिए वह जाने जाते थे। अजित पवार एक निर्णायक अंदाज वाले व्यक्तित्व वाले इंसान थे।

'नागिन के लिए हाँ कहने से पहले मुझे एक सेकंड भी नहीं सोचना पड़ा' - टीवी

के सबसे बड़े विलेन आकाशदीप सहगल कलर्स के नागिन 7 में शामिल हुए

कलर्स का नागिन 7, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में हैं, न सिर्फ नाग मणि चुरा रहा है, बल्कि टीआरपी चार्टर्स पर भी राज कर रहा है और दर्शकों का दिल जीत रहा है। यह यूनिवर्स पहले से कहीं ज्यादा बॉल्ड और बड़ा है, और इस शो में पावरहाउस परफॉर्मर आकाशदीप सहगल शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पहले ही एक जबरदस्त एंटी करके नागिन यूनिवर्स में तबाही मचा दी है। आकाशदीप ने कई आइकॉनिक विलेन के किरदार निभाए हैं, जिन्होंने भारतीय टेलीविजन पर नेगेटिव किरदारों को नए सिरे से परिभाषित किया है। अब, नौ साल के ब्रेक के बाद, वह कलर्स के नागिन 7 के साथ शानदार वापसी कर रहे हैं, जो महाशोषनागिन की

जिंदगी में अभूतपूर्व उथल-पुथल मचाने के लिए तैयार हैं।

जैसे ही अनंता (प्रियंका चाहर चौधरी) अपनी खूनी शादी की तबाही से कमबैक करती हैं, अपने परिवार के क्रूर नरसंहार का बदला लेने के लिए एक डरावनी महाशोषनागिन में बदल जाती है, एक नया और खतरनाक दुश्मन सामने आता है। इस उथल-पुथल के बीच एरुल की एंटी होती है, एक ऐसा विलेन जो नाग मणि की रक्षा करने और सारी परिवार का बदला लेने के अनंत के मिशन को बेपर्दा करने की मिशन पर है। उसके आने से अंधेरे का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ चुनौती पहले से कहीं ज्यादा ऊंची है और लड़ाइयाँ ज्यादा जानलेवा हैं।

टेलीविजन पर अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी और नागिन 7 में अपने किरदार एरुल के बारे में बात करते हुए,



आकाशदीप सहगल ने कहा, 'मैंने पहले भी विलेन का किरदार निभाया

है, लेकिन मैंने एरुल जैसा किरदार पहले कभी नहीं निभाया। यह मेरे द्वारा किए गए किसी भी किरदार से



बिल्कुल अलग है, रहस्यमयी पोशाक से लेकर दमदार डायलॉग्स और

जरूरी मनोवैज्ञानिक गहराई तक। सब कुछ एक अलग लेवल पर है। मेरी एंटी भी शानदार तरीके से प्लान की गई थी, और मुझे इस पर बहुत गर्व है। मैंने खुद को रीचार्ज करने और फिर से खोजने के लिए नौ साल का समय लिया, और अब मैं अपने जुनून का हर कतरा इस रोल में लगा रहा हूँ। मैं हर दिन पूरी तरह से तैयार रहता हूँ, इस दमदार दुनिया में खुद को डुबो देता हूँ। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह है मेरे फैंस का अटूट प्यार। नौ साल तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद भी, उन्होंने एडिटिंग, टवीट्स और मेरी वापसी के लिए लगातार अपनी इच्छा जाहिर करके मुझे जिंदा रखा। इस तरह की तारीफ बहुत कम मिलती है और यह मुझे

विनम्र बनाती है नागिन जैसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी के लिए हाँ कहने से पहले मुझे एक सेकंड भी नहीं सोचना पड़ा। एरुल सिर्फ एक विलेन नहीं है; वह एक ताकत है, और मैं उसे पद पर लाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आकाशदीप सहगल के खतरनाक एरुल के रूप में दमदार परफॉर्मेंस ने हर दिन पूरी तरह से तैयार रहता हूँ, इस दमदार दुनिया में खुद को डुबो देता हूँ। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह है मेरे फैंस का अटूट प्यार। नौ साल तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद भी, उन्होंने एडिटिंग, टवीट्स और मेरी वापसी के लिए लगातार अपनी इच्छा जाहिर करके मुझे जिंदा रखा। इस तरह की तारीफ बहुत कम मिलती है और यह मुझे

कीवी टीम ने शुरूआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और दबाव बनाते हुए टीम इंडिया को 165 पर आउट कर मैच जीत लिया

भारत के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर

215 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया और टीम इंडिया को 165 पर आउट कर मैच जीत लिया। कीवी टीम ने शुरूआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।

न्यूजीलैंड को तेज शुरूआत मिली। डेवोन कॉर्नवे ने 23 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। उनके साथ विकेटकीपर संगीत मनन शाह का और गीत मनोज मुनताशिर के हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मजबूत आधार तैयार कर लिया। मध्यक्रम में ग्लेन फिलिप्स ने 16 गेंदों पर 24 रन जोड़े। हालांकि रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन बड़ी



पारी नहीं खेल सके, लेकिन रन गति बनी रही। अंत के ओवरों में डेरिल मिचेल ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए और टीम को 200 के पार पहुंचाया। कप्तान मिचेल सैंटरन ने भी 6 गेंदों में 11 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव

आर अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह को एक-एक सफलता मिली, जबकि एक बल्लेबाज रन आउट

यादव 8 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। इसके बाद सैमसन एक बार फिर से प्लॉप हो गए। वह अच्छी शुरूआत के बाद 15 गेंदों में 24 रन बना चलते बने। उनके बाद हार्दिक पांड्या भी 2 रन के स्कोर पर आउट हो गए और टीम इंडिया की हालत खराब हो गई।

रिंकु सिंह क्रॉज पर टिके थे और जीत की उम्मीद भी जगाई लेकिन वह 39 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर चले गए। इस बीच शिवम दुबे का तूफानी अंदाज देखने को मिला। उन्होंने चौके और छक्कों की बारिश करते हुए 15 गेंदों में फिफ्टी जमा डाली। भारत के लिए यह तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। धांसू बैटिंग कर रहे दुबे 23 गेंदों में 65 रन बनाकर रन आउट हो गए और कीवी टीम को वापसी का मौका मिल गया। दुबे ने अपनी पारी में 7 छक्के और 3 चौके जड़े। इसके बाद भारतीय टीम 19वें ओवर तक 165 रन बना आउट हो गई और कीवी टीम ने सीरीज में अपना पहला मैच जीत लिया। कीवी टीम के लिए सैंटरन ने 3 विकेट झटके।

बारामती के लाडले की निधन से सूना पड़ा इलाका, 3 दिनों तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद ?

(जीएनएस)। महाराष्ट्र की राजनीति के 'दादा' और बारामती के सबसे चहेते नेता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन ने पूरे प्रदेश को सकते में डाल दिया है। बुधवार, 28 जनवरी 2026 को पुणे के पास बारामती में हुई विमान दुर्घटना में उनके निधन की खबर के साथ जनजीवन थम गया। अपने लाडले नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक संगठनों ने स्वेच्छा से तीन दिनों के पूर्ण बंद का निर्णय लिया है।

अजित पवार के सम्मान में बारामती और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। पूरे राज्य में शोक की लहर है और पुणे शहर की भी रफ्तार थम गई है। 6 बार प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं।

बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान: बारामती के मुख्य बाजार, कपड़ा

मंडी, और औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह बंद रहेंगे। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी जा रही हैं। शिक्षण संस्थान: बारामती के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान तीन दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाओं को भी पुनर्निर्धारित किया गया है।

निजी कार्यालय: निजी कंपनियों और कॉर्पोरेट ऑफिसों में छुट्टी नहीं दी



गई है, लेकिन पुणे में कई कंपनियों ने

वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। सार्वजनिक परिवहन: स्थानीय बस सेवा (ST) और निजी टैक्सियों का संचालन सीमित रहेगा। बारामती आने-जाने वाली प्रमुख बसें केवल आपातकालीन स्थिति में चलेंगी। क्या खुला रहेगा ?

- आम जनता की असुविधा को देखते हुए कुछ आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है

राजकीय शोक और सुरक्षा व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है, जबकि बारामती में स्थानीय स्तर पर यह तीन दिनों तक प्रभावी रहेगा। तिरंगा आधा झुका दिया गया है। बारामती में भारी संख्या में उमड़ने वाली समर्थकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 के तहत सुरक्षा कड़ी कर दी है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

एनएचआरसी, दिव्यांगता पर भारत के कोर ग्रुप ने 'दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के प्रमाणपत्र के दोबारा सत्यापन और फिर से आकलन के कारण होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन' पर चर्चा की

अध्यक्ष, जस्टिस श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कानूनी नतीजों का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि बड़े पैमाने पर सभी दिव्यांग कर्मचारियों के दोबारा सत्यापन के बजाय सिर्फ खास संदेह वाले मामलों की ही जांच की जाए एनएचआरसी सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी प्रतिनिधियों और अलग-अलग साझेदारों की मौजूदगी में हुई बैठक में अन्य सुझावों के साथ-साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के महत्व पर भी जोर

जस्टिस रामासुब्रमण्यन ने कहा कि कभी-कभी अधिकारियों से संपर्क करना मुश्किल होता है और सिर्फ अच्छे सम्पर्क वाले या पहुंच-लिखे परिवार ही व्यवस्था तक प्रभावी ढंग से पहुंच पाते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और कानूनी ढांचे और उसके लागू होने में व्यवस्था की कमियों को दूर करके उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने का आग्रह किया।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य,



जस्टिस (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की कानूनी फायदों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित मेडिकल देखभाल और सही प्रमाणपत्र मिलना चाहिए। गलत या फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर चिंता जताते हुए, उन्होंने कहा कि कम आकलन अक्सर व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित कर देता है, और मेडिकल बोर्ड द्वारा कड़ी जांच की मांग की। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और आजीवनिक सहायता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सकें, इसके लिए एक समन्वित और दयालु दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के महत्व पर जोर दिया।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि दिव्यांगता ऐसी चीज नहीं है जिसे बार-बार साबित करना पड़े। दिव्यांग व्यक्तियों का बार-बार सत्यापन होने से चिंता, डर और असुरक्षा पैदा हो रही है, खासकर नौकरी की निरंतरता को लेकर। उन्होंने मेडिकल बोर्ड तक खराब पहुंच को उजागर किया और कहा कि जो दिव्यांगता ठीक नहीं हो सकती, उन पर बार-बार जांच लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फंक्शनल, सुविधा-आधारित आकलन, घर पर सत्यापन और सेवाओं, समय-सीमा वाली प्रक्रियाओं, अधिकारियों के लिए दिव्यांगता अधिकार प्रशिक्षण, ऑनलाइन पहुंच और समर्पित

शिकायत सेल की मांग की। इससे पहले, बैठक की विषय सूची तय करते हुए, एनएचआरसी, इंडिया के सेक्रेटरी जनरल, श्री भरत लाल ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, साथ ही कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अक्टूबर 2025 के एसओपी को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया, जिसमें दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन, दिव्यांगता के प्रकार, प्रतिशत और कार्यात्मक उपयोगिता का मूल्यांकन और एक अपील योग्य तंत्र शामिल है। हालांकि, दिव्यांगता का दोबारा मूल्यांकन दखल देने वाला हो सकता है और लोगों को लगता है कि उनकी गरिमा से सम्झौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हालांकि 2016 के कानून ने आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन दुरुपयोग और कमजोर सामाजिक मूल्यों के कारण असली दिव्यांग व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के सामूहिक विचार-विमर्श और सक्रिय भागीदारी से इस मुद्दे को हल करने के लिए सिफारिशें और सुझाव सामने आएंगे।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकडुआक ने बैठक के तीन तकनीकी सत्रों का संक्षिप्त विवरण दिया। ये थे 'आरपीडब्ल्यूडी कानून, 2016 के साथ प्रशासनिक निगरानी में तालमेल बिठाना', 'सत्यापन प्रक्रिया में गरिमा और भेदभाव न होना' और 'यूडीआईडी फ्रैमवर्क के जरिए डिजिटल सत्यापन को मजबूत करना'। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा, एमओएसजेई ने कैप मोड में दिव्यांगता आकलन के संचालन के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभागों, मीडिया और समाज से फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्रों के बारे में मिली रिपोर्टों को स्वीकार किया। पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर, उन्होंने स्पष्ट

किया कि विभाग का प्राथमिक इरादा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में भर्ती के चरण में उचित सावधानी सुनिश्चित करना था। उन्होंने आरपीडब्ल्यूडी कानून, 2016 की धारा 91 का उल्लेख किया, जो फर्जी दावों के लिए सजा का प्रावधान करता है, जिसमें जेल और जुर्माना शामिल है। उन्होंने कहा कि विभाग का इरादा प्रवेश की अवस्था में दिव्यांगता प्रमाणन की हाई-रिजॉल्यूशन जांच करना था। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि धोखाधड़ी कभी-कभी बाद में सामने आ सकती है, ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए जहां व्यक्तियों का पता सेवा में शामिल होने के बहुत बाद चला। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई कानून के तहत सही थी।

दिव्यांग व्यक्तियों के आयुर्व त डॉ. एस. गोविंदराज ने कहा कि सत्यापन तंत्र को लक्षित और अनुपातिक रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक दिव्यांग व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशानिर्देश बड़े पैमाने पर पुनर्मूल्यांकन के बजाय सत्यापन पर जोर देते हैं।

इसमें शामिल होने वालों में एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी, श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, डीजी (आई); श्री जोगिंदर सिंह, रजिस्ट्रार (कानून); श्री. समीर कुमार, संयुक्त त्र सेक्रेटरी; डॉ. पूर्वा मित्तल, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जीटीबी हॉस्पिटल; डॉ. वैभव भंडारी, संस्थापक, स्वावलंबन फाउंडेशन; श्री मुरलीधरन विश्वनाथ, महासचिव, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड; श्री राजीव रतूडी, सलाहकार, श्री अरमान अली, कार्यकारी निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीडीपी); श्री अखिल एस. पॉल, निदेशक, सेंस इंटरनेशनल (इंडिया); श्री निपुण मल्होत्रा, सह-संस्थापक, निपमैन फाउंडेशन, और अन्य लोग शामिल थे।

'भारत का क्रेडिट परिदृश्य तेजी से परिपक्व हो रहा है' - विवेक सिंह, सीईओ, होम क्रेडिट इंडिया

भारत का क्रेडिट परिदृश्य तेजी से परिपक्व हो रहा है, जहां पर्सनल लोन, ईएमआई आधारित उत्पाद, लोन अग्रेसर प्रॉपर्टी और टू-व्हीलर लोन जैसे विकल्प लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा कर रहे हैं। 'हाउ इंडिया बरिज 7.0' अध्ययन के अनुसार, आज उधार लेने के फैसलों में वहनयोग्यता और लचीलापन सबसे अहम हथकंडे रहे हैं, जिससे वित्तीय साक्षरता और जिम्मेदार उधार प्रथाओं को और मजबूत करने की

37% ग्राहक समय से पहले लोन बंद करने जैसी सुविधाएं चाहते हैं। यह रुझान पारदर्शी और ग्राहक-केन्द्रित क्रेडिट समाधानों की बढ़ती मांग को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। साथ ही, उपभोक्ता अजब कर्ज लेने को लेकर अधिक विचार करते रहे हैं, जिससे वित्तीय साक्षरता और जिम्मेदार उधार प्रथाओं को और मजबूत करने की



जिसमें वित्तीय जागरूकता, पारदर्शिता के मजबूत ढांचे और उन्नत क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश शामिल हो। ऐसे कदम उपभोक्ताओं को भरोसे और

आवश्यकता भी सामने आती है, विशेषकर अनसिस्टेमाइज्ड लेंडिंग के विस्तार के साथ। 2026 के केंद्रीय बजट से हमारी अपेक्षा है कि वह जिम्मेदार लेंडिंग को बढ़ावा देने पर निरंतर ध्यान दे—जिसमें वित्तीय जागरूकता, पारदर्शिता के मजबूत ढांचे और उन्नत क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश शामिल हो। ऐसे कदम उपभोक्ताओं को भरोसे और

स्पष्टता के साथ क्रेडिट अपनाने में सक्षम बनाएंगे। 2025 के बजट में उपभोग को प्रोत्साहन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती और वित्तीय समावेशन पर दिया गया जोर एक मजबूत आधार तैयार कर चुका है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, आगामी बजट क्रेडिट को भारतीय परिवारों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और रोजमर्रा की स्थिरता का सशक्त माध्यम बना सकता है। — विवेक सिंह, सीईओ, होम क्रेडिट इंडिया

ब्रज मंडल क्षत्रिय सभा समेत सर्वण समाज ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए की नारेबाजी : यूजीसी को बताया काला कानून

मोदी सरकार से यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग - यूजीसी कानून वापस न लेने पर नारेबाजी, प्रदर्शन और आंदोलन करेगा सर्वण समाज

मथुरा (जीएनएस)। भाजपा की मोदी सरकार द्वारा सर्वण समाज पर थोपे गए यूजीसी कानून के विरोध में क्षत्रिय राजपूत सभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सर्वणक्षत्रिय राजपूत समाज के सैंकड़ों लोगों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग की। जानकारी के अनुसार क्षत्रिय राजपूत महासभा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में महासभा के पदाधिकारी,

कार्यकर्ता और सर्वण समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप भवन देवीपुरा-बाजना बाटी रोड़ पर प्रदेश अध्यक्ष

यूजीसी जैसे काले कानून का पुरजोर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री



ब्रज मंडल क्षत्रिय राजपूत सभा टाकुर मुकेश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में सामान्य वर्ग के बच्चों पर थोपे गए

अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस बीच क्षत्रिय सभा के पदाधिकारी और सर्वण समाज के

हनी ट्रैप गैंग : बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर पचास लाख मांग रही शातिर महिला गिरफ्तार

गैंग में शामिल तीन फरार आरोपी की तलाश जारी - बरेली के व्यक्ति को फंसाकर मांग रहे थे 50 लाख

मथुरा (जीएनएस)। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल से पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को बलात्कार के फर्जी मुकदमें में जेल भिजवाने की धमकी देकर 50 लाख रूपए की मांग करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र और चौकी प्रभारी बागवहादुर मांगेराम और एसआई कंचन पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस टीम ने बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रूपए की मांग करने वाली शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ी गई महिला से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद की है। इस संबंध में सीओ सिटी ने

से सूचना मिली कि हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को बलात्कार के फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रूपए मांगने वाली एक महिला, नए बस स्टैंड के निकट अमर होटल में आयी हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र, चौकी प्रभारी बागवहादुर मांगेराम और एसआई कंचन पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस टीम ने बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रूपए की मांग करने वाली शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ी गई महिला से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद की है। इस संबंध में सीओ सिटी ने

बताया कि पकड़ी गई महिला और उसके तीन साथियों ने गांव पहुंचा थाना फरीदपुर जिला बरेली के रहने वाले एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसा लिया था। इसके बाद पकड़ी गई शातिर महिला ने उससे मुलाकात की और इसके बाद ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो गया। पकड़ी महिला और उसके साथियों ने हनी ट्रैप में फंसाए व्यक्ति से बलात्कार के फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रूपए की मांग करने लगे। पीड़ित व्यक्ति को शातिरों ने बुला लिया और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित व्यक्ति किसी

प्रकार शातिरों के चंगुल से निकल कर एसएसपी से मिला और हनी ट्रैप गैंग की शातिर महिलाओं और उनके साथियों से बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद एसएसपी ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके कोतवाली पुलिस उसी समय से हनी ट्रैप में फंसाकर 50 लाख की मांग करने वाले गैंग की तलाश में जुटी हुई थी। पकड़ी गई शातिर महिला के तीन साथी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। पुलिस ने पकड़ी गई आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को आधिकारिक लोगों के अनधिकृत उपयोग को रोकने का निर्देश दिया है

राज्य चिह्न, मंत्रालय और साई के लोगो का दुरुपयोग भ्रामक सरकारी संबद्धता दिखाने के लिए पाया गया है

अनुपालन न करने पर मान्यता निलंबित या वित्तीय सहायता वापस ली जा सकती है (जीएनएस)। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएस) ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य प्रतीक और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लोगो या चिह्नों का अनधिकृत उपयोग तत्काल बंद कर दें।

यह देखा गया है कि कुछ राष्ट्रीय खेल संगठन (एनएसएफ) अपने लेटरहेड, वेबसाइटों, विजिटिंग कार्ड और अन्य संचार सामग्री पर सरकारी लोगो और प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह गलत धारणा बन रही है कि वे भारत सरकार या साई का प्रत्यक्ष हिस्सा हैं। ऐसा उपयोग

अनधिकृत है और भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के प्रावधानों के विपरीत है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एनपालन न करने पर मान्यता निलंबित या वित्तीय सहायता वापस ली जा सकती है (जीएनएस)। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएस) ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य प्रतीक और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लोगो या चिह्नों का अनधिकृत उपयोग तत्काल बंद कर दें। यह देखा गया है कि कुछ राष्ट्रीय खेल संगठन (एनएसएफ) अपने लेटरहेड, वेबसाइटों, विजिटिंग कार्ड और अन्य संचार सामग्री पर सरकारी लोगो और प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह गलत धारणा बन रही है कि वे भारत सरकार या साई का प्रत्यक्ष हिस्सा हैं। ऐसा उपयोग

राष्ट्रीय खेल संगठनों (एनएसएफ) को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सरकार और साई के लोगो का उपयोग केवल कार्यक्रम-

यद्यपि एनएसएफ को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और वे वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता के पात्र हैं, लेकिन ऐसी मान्यता या समर्थन उन्हें अपने आधिकारिक स्टेशनरी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार, मंत्रालय या एसएआई के नाम, प्रतीक चिन्ह या लोगो का उपयोग करने का अधिकार नहीं देता है।

एनएसएफ आधिकारिक लोगो या प्रतीक चिह्नों का उपयोग किए बिना, केवल मंत्रालय द्वारा अपनी मान्यता का लिखित रूप से उल्लेख कर सकते हैं।



यूजीसी बिल 2026 के विरोध के बीच क्यों चर्चे में आया रोहित वेमुला केस ? यूजीसी बिल से क्या है कनेक्शन

रोहित की आत्महत्या को एक 'संस्थागत हत्या' मानी गई थी। रोहित वेमुला अबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ASA) से जुड़े थे। 2015 में एक छात्र आंदोलन के बाद रोहित और उनके साथियों को

छिड़ी। अंत में छात्रों का विरोध प्रदर्शन की आवाज सुप्रिम कोर्ट तक पहुंची। हालांकि 2024 में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित दलित नहीं थे और उनकी मौत निजी कारणों से हुई, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठते रहे।

असल में, रोहित वेमुला केस ही वह आधार है, जिसने यह सवाल खड़ा किया कि क्या केस में भेदभाव को समय रहते रोका जा सकता था ? क्या हॉस्टल से बाहर कर दिया गया और उनकी फेलोशिप रोक दी गई। रोहित को इन घटनाओं ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अलग-थलग कर दिया गया। लगातार मानसिक दबाव और उपेक्षा के कारण 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। उनके सुसाइड नोट की लाइन- "मेरा जन्म एक घातक दुर्घटना था" ने पूरे देश को झकझोर दिया।

साल 2016 में रोहित की मौत के बाद दिल्ली से हैदराबाद तक विरोध प्रदर्शन हुए और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव पर राष्ट्रीय बहस

कैपस में अलगाव के आरोपों ने सबको चौंकाया। आयुष और अग्नि (IIT दिल्ली) के मामले ने सुप्रिम कोर्ट को मजबूर किया कि वह कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और भेदभाव की जांच के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दे।

उर शी रिश्लेल्ड इल्ल दि वक्र 2026: जातिगत भेदभाव के आंकड़े क्या कहते हैं ?

यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की डरावनी बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2017-18 में साल जहां 173 शिकायतें थीं, वहीं 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई है। यही वजह है कि सरकार अब 'पॉलिसी' से आगे बढ़कर 'कानूनी जवाबदेही' की ओर बढ़ रही है। इन बढ़ते आंकड़ों ने 'सोनीयर-जूनियर' के नाम पर होने वाले जातिगत उपेक्षित को उजागर किया था। पायल तड़वी का मामला: मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर बड़ा सवाल बन गया। इसके अलावा दर्शन सोलंकी (IIT बॉम्बे, 2023) केस ने यूनिवर्सिटी

